कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1124 **/FP/UK/ROAD/8986/2014 :देहरादून:दिनांक:** 23, **अक्टूबर, 2018**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में कुनिगाड़–हिरूली बाजार से रामपुर–चौखुटिया तक विस्तार हेतु 1.35 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/118/2015/एफ0सी0/934 दिनांक 09–09–2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त सख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.70 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 6,83,996.00 (रू0 छः लाख तिरासी हजार नौ सौ छियानब्बे) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–भटकोट सिविल सोयम भूमि की शर्त अधिरोपित की गयी थी। उक्त के क्रम प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम–भटकोट में उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम–नैणी, पटवारी क्षेत्र–पैठानी, तहसील–द्वाराहाट, जनपद–अल्मोड़ा में चिन्हित 2.70 सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, जिसको ऑनलाईन वेब–पोर्टल पर यथास्थान भी उपलोड कर दिया गया है। वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किये गये ग्राम–नैणी, सिविल सोयम भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 11,40,750.00 (रू0 ग्यारह लाख चालीस हजार सात सौ पचास) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेयी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि कुल रू0 18,24,746.00 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–3)**

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धत्ता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या :– **/FP/UK/ROAD/8986/2014 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक